C.N.- 1894791/14

(24)

कार्यालय लोकपाल, मनरेगा, प0 चम्पारण, बेतिया।
विकास भवन, समाहरणालय परिसर, बेतिया।

पत्रांक ....लोकपाल मनरेगा का0 दिनांक..........................

प्रेषक,

नगीना प्रसाद सिन्हा
लोकपाल (मनरेगा)
प0 चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषय:– **लोकपाल द्वारा निष्पादित परिवाद सं0 92, 93 और 94 के पंचाट (अधिनिर्णय) से संबंधित।**

संदर्भ:– **लोकपाल अनुदेश की कंडिका 8 (vii)**

महाशय

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि निर्देशानुसार लोकपाल द्वारा घोषित पंचाट (अधिनिर्णय) की प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: – पाँच

विश्वासभाजन
लोकपाल, मनरेगा
प0 चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ....114....लोकपाल का0 दिनांक....15/10/14..............

प्रतिलिपि:– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि:– उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला समन्वयक, प0 चम्पारण, बेतिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की पंचाट की प्रति जिले के बेबसाईट पर अपलोड करावें।

प्रतिलिपि:– संबंधित आवेदक को प्रेषित।

15/10/14
लोकपाल, मनरेगा
प0 चम्पारण, बेतिया।

कार्यालय लोकपाल, मनरेगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
विकास भवन, जिला समाहरणालय, बेतिया।

अभिलेख उपस्थापित

परिवाद संख्याः— 92/2014, 93/2014 एवं 94/2014

परिवादीगणः— (1) शिव सरकार, पिता स्व0 पालक सरकार
(2) राहुल व्यपारी, पिता श्री निंकुश व्यपारी
(3) शंकर सरकार, पिता स्व0 मधुर सरकार सभी बंगाली कॉलोनी चौतरवा, पंचायत लगुनाहा चौतरवा, थाना चौतरवा, प्रखंड बगहा 1

आरोपित पक्षः—

(1) कार्यक्रम पदाधिकारी, बगहा 1
(2) मुखिया, ग्राम पंचायत राज लगुनाहा चौतरवा
(3) तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, ग्रा0पं0 रा0 — लगुनाहा चौतरवा
(4) तत्कालीन पंचायत तकनीकी सहायक, प्रखंड — बगहा 1
(5) कनीय अभियंता प्रखंड— बगहा 1

परिवाद का सारांश :— परिवादियों ने शिकायतपत्र दिया है कि उनलोगों ने श्रीकांत हलधर के पोखरा योजना सं0 1/2013—14 में काम किया जिसमें आंशिक रूप से मजदूरी का भुगतान हुआ है। और आंशिक रूप से मजदूरी बकाया है। मजदूरी मांगने पर रोजगार सेवक एवं मुखिया ध्यान नही देते है। इसकी शिकायत उनलोगों ने कार्यक्रम पदाधिकारी बगहा 1 से भी की है, किंतु उन्होनें भी भुगतान संबंधी कोई कार्रवाई नही की है। शिकायत पत्रों की छायाप्रति के साथ कार्यपालक अभियंता, जि0ग्रा0वि0अ0, बेतिया को स्थल जांचकर प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया गया।

स्थल जांच के बाद कार्यपालक अभियंता ने अपनी जांच प्रतिवेदन दी है। उन्होनें स्थल जाँच के समय अभिलेखों का अध्ययन कर पाये गये त्रुटियों का भी जिक्र किया है। प्रतिवेदन में कार्यपालक अभियंता ने इंगित किया है कि पोखरा में पानी भरा हुआ था जिससे पता चलता है कि कार्य कराया गया है। चूँकि कार्य एक साल पहले कराया गया है और पानी अभी भरा हआ है। अतः वास्तविक मापी करना संभव नही है। अभिलेख के अवलोकन से उन्हें पता चला कि दिनांक 21.06.2013 को चेक सं0 211813 से 45954 रू0 का भुगतान MR के आधार पर कर दिया गया है किंतु अभिलेख के आदेशफलक 3/3 पर मापी राशि रू0 45954/— को काट कर रू0 81420/— किया गया है, ऐसा दो स्थानों पर किया गया है जहाँ किसी का लघु हस्ताक्षर भी नही है। ऐसा करना संदेह पैदा करता है। उनके अनुसार मस्टर रॉल जिसका भुगतान लंबित दिखलाया गया है उसका Detail कम्प्यूटर से प्रिंट नही हो पाया है एवं उसे कलम से भरा गया है। ऐसा कुल 6 पन्ना है, जिस पर हाथ से भरा हुआ है। मस्टर रॉल फर्जी है तथा P.T.A. के द्वारा मापी भी गलत दर्ज किया गया है। मापी पुस्तकों में J.E./A.E. से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होता है, जो नही किया गया है और यह अनियमितता को दर्शाता है। जांच प्रतिवेदन के अंतिम पारा में उन्होनें लिखा है— "उक्त आलोक से गलत मस्टर रॉल प्रस्तुत करने वाले सभी कर्मी, जिन्होनें मस्टर रॉल पर हस्ताक्षर किया है एवं अभिलेख के आदेश कलम पर छेड—छाड करने के लिये मुखिया सहित रोजगार सेवक पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिये। "

सुनवाई की अगली कडी में तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक संतोष कुमार एवं वर्तमान पंचायत रोजगार सेवक शैलेन्द्र पाल अभिलेख के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 13.10.2014 को उपस्थित हुये। संतोष कुमार तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक ने बयान दिया कि योजना सं0 1/2013—14, शरनार्थी कॉलोनी में श्रीकांत हलदर के निजी जमीन के पोखरे की खुदाई हुई है तथा Muster roll में वर्णित सभी

(52)

मजदूरों ने उसमें काम किया है। पोखरे की खुदाई का कार्य दिनांक 24.05.2013 को शुरू हुआ और 15.06.2013 को समाप्त हो गया। तकनीकी सहायक द्वारा M.B. रू0 81420/– का दिनांक 16.06.2013 द्वारा दर्शाया गया है।

विचारणीय बिन्दु:– क्या प्रतिवादीगण से मनरेगा के लिये किये गये कार्य के संबंध में कोई भुगतान देय है? और क्या वे क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी है?

निष्कर्ष:– कार्यपालक अभियंता, जि0ग्रा0वि0अ0 के जांच प्रतिवेदन, पंचायत रोजगार सेवक के बयान, पंचायत के खाते का पासबुक एवं अभिलेख देखने से स्पष्ट होता है कि मजदूरों ने काम किया है और पंचायत के खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध रहने के बाबजूद भी समय पर भुगतान नही किया गया है। तकनीकी सहायक ने M.B. दिनांक 16.06.2013 को तैयार की है एवं हस्ताक्षर किया गया है जो रू0 81420/– का है। दिनांक 21.06.2013 को आदेश फलक में तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक ने मो0 45954/– की राशि भुगतान हेतु दर्ज की है तथा चेक सं0 211813 दिनांक 21.06.2013 रू0 45954/– द्वारा भुगतान किया गया है। पुनः आदेश फलक में रू0 45954 को काटकर रू0 81420/– दर्ज की गई है। अपने बयान में तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक संतोष कुमार ने स्वीकार किया है कि 333 दिनों की मजदूरी का भुगतान दिनांक 21.06.2014 को कर दी गई है तथा 257 दिनों की मजदूरी का भुगतान बकाया है तथा शिकायतकर्त्ताओं ने भी काम किया है और उनके मजदूरी का भुगतान बकाया है। वे इस बात का संतोषप्रद जबाव नही दे पाये कि पंचायत के खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध रहने और M.B. रू0 81420/– का तकनीकी सहायक द्वारा प्रस्तुत करने पर भी पूरी राशि का भुगतान 21.06.2013 को क्यों नही की गई? मस्टर रॉल को देखने से पता चलता है कि पोखरे की खुदाई का काम दिनांक 15.06.2013 को समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बिंदु 30 में स्पष्ट होता है कि "यदि स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मजदुरी का संदाय नही किया जाता है तो श्रमिक मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 का 4)" के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार होगें।

पुनः ग्रामीण विकास विभाग पटना के पत्रांक 189382 दिनांक 24.06.2014 के अनुसार कार्य करने की अवधि के बाद 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिये। मस्टर रॉल के अनुसार दिनांक 30.06.2013 तक मजदूरी का भुगतान कर दिया जाना चाहिये था। पंचायत के खाते में पर्याप्त राशि मौजूद थी और अभी भी है।

अतः राज्य सरकार के पत्रांक 189382 दिनांक 24.06.2014 के आलोक में परिवादीगण 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति प्राप्त करेंगे।

अवार्ड (अधिनिर्णय) :– परिवादियों के बकाया मजदूरी का भुगतान, विलंबित दिवसों की गणना कर 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति के साथ की जाय। कनीय अभियंता को तकनीकी सहायक द्वारा प्रस्तुत M.B. का सत्यापन निश्चित रूप से करना चाहिये था जो नही किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी मस्टर रॉल पर प्रतिहस्ताक्षर किया है। परिवादियों ने भुगतान हेतु उन्हें भी कहा था, किंतु पंचायत के खाते में पर्याप्त राशि रहने के बावजूद भुगतान नही हुआ। इन्होनें भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। संबंधित दोषी कर्मियों पर विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की जाय ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो।

15/10/14

(नगीना प्रसाद सिन्हा)
लोकपाल मनरेगा
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

कार्यालय लोकपाल, मनरेगा, प0 चम्पारण,बेतिया।
विकास भवन, समाहरणालय परिसर, बेतिया।

पत्रांक ....लोकपाल मनरेगा का0 दिनांक............................

प्रेषक,

नगीन्द्र प्रसाद सिन्हा
लोकपाल (मनरेगा)
प0 चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषयः– **लोकपाल द्वारा निष्पादित परिवाद सं0 100, 101, 102, 104, 105, 109, 111, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122 के पंचाट (अधिनिर्णय) से संबंधित।**

संदर्भः– **लोकपाल अनुदेश की कंडिका 8 (vii)**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि निर्देशानुसार लोकपाल द्वारा घोषित पंचाट (अधिनिर्णय) की प्रति अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोक्त

विश्वासभाजन
ह0
लोकपाल, मनरेगा
प0 चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ..100.......लोकपाल का0 दिनांक..03/09/14..............

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त–सह–अपर जिला समन्वयक, प0 चम्पारण, बेतिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अवार्ड की प्रति जिले के बेबसाईट पर अपलोड करावें।

प्रतिलिपिः– संबंधित आवेदक को प्रेषित।

03/09/2014
लोकपाल, मनरेगा
प0 चम्पारण, बेतिया।

(7)

कार्यालय लोकपाल, मनरेगा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
विकास भवन, जिला समाहरणालय, बेतिया।

परिवाद संख्याः— 100,101,102,104,105,109,111,113,115,116,118,120,121,122 (कुल चौदह)

परिवादीः— रंजु देवी, पति उमा पटवारी एवं अन्य संलग्न सूची के अनुसार सभी ग्राम वजनी, पंचायत सीठी, प्रखंड गौनाहा, प0 चम्पारण।

आरोपित पक्षः—

(1) मुखिया, ग्राम पंचायत सीठी।
(2) पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत— सीठी।
(3) तकनीकी सहायक, प्रखंड — गौनाहा।
(4) कनीय अभियंता, प्रखंड— गौनाहा।

परिवाद का सारांश :— परिवादियों ने दिनांक 17.06.2014 को शिकायत पत्र दिया है कि उनलोगों ने सीठी ग्राम पंचायत में पोखरे की खुदाई की है, किंतु उन्हें अभी तक मजदूरी नही मिली है। उनके शिकायत पत्र पर परिवाद अंकित कर कार्यक्रम पदाधिकारी, गौनाहा को जांच कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी ने पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्रस्तुत की गई एडभाईस के साथ अपना प्रतिवेदन दाखिल किया है। पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं भुगतान की एडभाइस देखने से स्पष्ट होता है कि मजदूरों ने दिनांक 03.06.2013 से 20.06.2013 तक योजना सं0 06/2013—14 एवं 07/2013—14 में कार्य किये हैं। एम0बी0 भी तैयार कर दी गयी है, किंतु मजदूरों का भुगतान समय पर नही किया गया है। पंचायत का पासबुक देखने से पता चलता है कि उस अवधि में पंचायत के खाते में रू0 16,85,300/— जमा है। पुनः दिनांक 24.09.2013, 02.12.13, 28.03.2014 एवं 09.06.2014 को क्रमशः छः लाख, छः लाख तीन लाख एवं छः लाख रूपये पंचायत के खाते में सरकार द्वारा दी गयी है, फिर भी एक साल तक मजदूरों के मजदूरी का भुगतान नही किया गया हैं। यह एक जूर्म जैसा लगता हैं।

विचारणीय बिन्दुः— क्या प्रतिवादीगण से मनरेगा के लिये किये गये कार्य के संबंध में कोई भुगतान देय हैं और क्या वे क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी/अधिकारिणी हैं ?

निष्कर्षः— पंचायत रोजगार सेवक के जबाव एवं प्रस्तुत अभिलेख देखने से स्पष्ट होता है कि पंचायत के खातें में राशि रहने के बावजूद भी भुगतान नही किया गया हैं। भारतीय स्टैट बैंक का चेक सं0 232024 रू0 44988/— दिनांक 16.06.2014 एवं चेक, रू0 48300/— दिनांक 16.06.2014 में निर्गत है, किंतु लाथार्थियों के खाते में दिनांक 22.08.2014 को जमा हुआ है। चेकों की राशि दो माह बाद लाभार्थियों के खाते में गया है। इससे स्पष्ट होता है कि चेक काफी देरी से बैंक में जमा किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

अधिनियम 2005 के बिंदु 30 मे स्पष्ट होता है कि "यदि स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय नही किया जाता है, तो श्रमिक मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 का 4) कें उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे।"

पुनः ग्रामीण विकास विभाग, पटना के पत्रांक 189382 दिनांक 24.06.2014 के अनुसार कार्य करने की अवधि समाप्ति के बाद पन्द्रह दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिये। मस्टर रॉल के अनुसार मजदूरों ने 03.06.2013 से 20.06.2013 तक कार्य किये है। अतः 05.07.2013 तक उनको भुगतान मिल जानी चाहिये थी। पंचायत के खाते में राशि भी उपलब्ध थी फिर भी मजदूरों के खाते मे वह राशि दिनांक 22.08.2014 को दिया गया। अतः राज्य सरकार के पत्रांक 189382 दिनांक 24.06.2014 के अलोक में सभी परिवादीगण 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति प्राप्त करेंगे।

पंचाट (अधिनिर्णय) :– सभी परिवादियों को विलम्बित दिवसों को गणना कर 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान की जाय। दोषी कर्मियो पर अनुशासनिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाय ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो।

अनुलग्नकः यथोक्त

03/09/2014

(नगीना प्रसाद सिन्हा)
लोकपाल मनरेगा
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

आवेदकों की सूची

योजना संख्या 7/2013–14, ग्राम वजनी में बलदेव महतो के खेत में पोखरी निर्माण कार्य।

क्रम सं0	परिवाद सं0	परिवादी का नाम	पति/पिता का नाम	जॉब कार्ड की सं0
1	100	रंजु देवी	उमा पटवारी	1769
2	102	बागमती देवी	बृजेश पटवारी	960
3	109	सुमाशी देवी	हीरा पटवारी	908
4	111	सरस्वती देवी	मदन पटवारी (रूपन पटवारी)	565
5	113	रूपन पटवारी	स्व0 सीता राम पटवारी	574
6	115	बाबुलाल पटवारी	स्व0 जैन पटवारी	568
7	120	मंजु देवी	मधुबन पटवारी	622/922
8	122	सुगंधी देवी	अशोक पटवारी	558

आवेदकों की सूची

योजना संख्या 6/2013–14, ग्राम वजनी में अखिलेश प्रसाद गुप्ता के खेत में पोखरी निर्माण कार्य।

क्रम सं0	परिवाद सं0	नाम	पति/पिता का नाम	जॉब कार्ड की सं0
1	101	प्रभावती देवी	फीरथ महतो	572
2	104	मनोरमा देवी	सुशीन्द्र महतो	13
3	105	देवकी देवी	नंदलाल महतो	562
4	116	कांती देवी	पाशपति महतो	951/559
5	118	पलटन महतो		563
6	121	दिनेश महतो	फीरल महतो	572

03/09/14